State Environment Impact Assessment Authority, M.P.

(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

सत्यमेव जयते

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal - 462016
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Email : mpseiaa@gmail.com
Tel.: 0755 - 2466970, 2466859
Fax : 0755 - 2462136

No.: 2769 /SEIAA/23
Date : 7/2/23

प्रति,

मेसर्स रवि इन्फ्रा बिल्ड प्रोजेक्ट प्रा.लि.,
अधिकृत व्यक्ति श्री अभिषेक गुप्ता, निवासी 95, हिरन मगरी,
सेक्टर–11, उदयपुर **(राजस्थान)**

विषयः– **प्रकरण क्र. 9525/2022** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रवि इन्फ्रा बिल्ड प्रोजेक्ट प्रा.लि., अधिकृत व्यक्ति श्री अभिषेक गुप्ता, निवासी 95, हिरन मगरी, सेक्टर–11, उदयपुर (राजस्थान), द्वारा पत्थर व एम सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 250000 व एम सेण्ड 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 636, ग्राम बरगडी, तहसील बडौद, जिला आगर मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन। **Prescribing of TOR**

संदर्भः–768वी SEIAA बैठक दिनांक 31.01.2023 एवं 617वी SEAC समिति बैठक दिनांक 03.01.2023

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 617वी बैठक दिनांक 03.01.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ अतिरिक्त ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।

(iv) **परि**योजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।